

बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली स्मॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या—FC/69/2022-**732**

प्रेषक,

अरविंदर सिंह, भावव०स०,
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
 –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
 बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
 बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—**17/10/2023**

विषय— श्री राम चन्द्र यादव द्वारा जमुई जिलान्तर्गत डुमरी मौजा के खाता संख्या-24, प्लॉट संख्या-28, थाना संख्या-13, थाना-सोनो में NH-333 जमुई-चकाई पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.036 हैं। वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कोट्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/156610/2022/1422, दिनांक 13.09.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 29.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 13.09.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
-------------	--	----------------

A: **Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.**

1	The User agency shall transfer the cost of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु ₹ 0 8,65,161.00 (₹ 0 आठ लाख पैसठ हजार एक सौ एकसठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270156610614, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 28.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UTIBR5202309280035484 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
----------	---	---

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.036 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.021 है। अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये ₹० 9,57,780/- प्रति हेक्टेकर दर से कुल ₹० 34,480/- (चौतीस हजार चार सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270156610614, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 28.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UTIBR5202309280035484 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 28.09.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न है)।
4	The FRA, ~2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval	प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 29.09.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई से निर्गत FRA 2006 प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV ली राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the laboures and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक रवीकृति (Stage - I) में अधिसूचित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.036 हेक्टर सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

झापाक—FC/69/2022- ७३२

दिनांक— १७/१०/२०२३

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई एवं श्री राम चन्द्र यादव, पिता—श्री विजय यादव, ग्राम—कांगेश्वर, पोस्ट—चौन, थाना—खैरा, जिला—जमुई, पिन—८११३०५ को सूचना हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Jamui/ Jamui Forest Division, Jamui.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shree Ram Chandra Yadav / IOCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.036 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	13.09.2023				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
a.	Compensatory Afforestation	8,65,161.00				
b.	Additional CA	-NA-				
C.	Penal CA	-NA-				
d.	Catchment Area Treatment	-NA-				
e.	Wildlife Management Plan	-NA-				
f.	Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
g.	Net present Value	34,480.00				
h.	Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-challan	UTIBR5202309280035484 dt. 28.09.2023	34,480/- 8,65,161/-	NPV CA
					Total-	8,99,641/-
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 28.09.2023				
12	Any other remarks					


(Arvinder Singh)
 Signature of APCCF (CAMPA)-cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में

४७६
०५/१०/२०२३

३२३

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्प)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

दिनांक— 20.09.2023

विषय— श्री राम चन्द्र यादव द्वारा जमुई जिलान्तर्गत डुमरी मौजा के खाता संख्या—24, प्लॉट संख्या—28, थाना संख्या—13, थाना—सोनो में NH-333 जमुई—चकाई पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट रथापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.036 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 682, दिनांक 20.09.2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक F/P/BR/Approach/156610/2022/1422, दिनांक 13.09.2023 द्वारा दो भागों में (A में 1—6 शर्त एवं B में 1—9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270156610614, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 28.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UTIBR5202309280035484 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.036 हे। अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हेठो की दर से कुल रु० 34,480/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270156610614, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 28.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UTIBR5202309280035484 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 28.09.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या सशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम रूपीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त

विश्वासभाजन

राम चन्द्र यादव

(राम चन्द्र यादव)

पिता—श्री विजय यादव,

ग्राम—कागेश्वर, पोस्ट—चौन, थाना—खैरा,

जिला—जमुई, पिन—811305

8092023

ACKNOWLEDGEMENT TO CUSTOMER

Acknowledge receipt of NEFT / RTGS / IMPS instruction
Ref No (For RTGS / NEFT)

UTIBRS202309280035484

Remitter's Name

RAM NARAYAN SINGH

Retrieval Reference No (For IMPS)

Name and Signature of Bank Official

Beneficiary Name

BIHAR CAMPA

Account No.

918010001775124

For Saksham Reference No (For IMPS)
With Date & Time Request

Amount in figures

899641/-

Account No.

1506270156610614

Cheque No.

041528

Amount (In Words)

IFSC UBIN0996335
Eight lakh ninety nine thousand eight hundred forty one only

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-09-2023

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-09-2023

Agency Name.	RAM YADAV
Application No.	70156610614
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/156610/2022
Location.	BIHAR
Address.	S/o-Shri Bijay Yadav, Village-Kageshwar, PO- Chuan, PS-Khaira, Jamui
Amount(in Rs)	899641/-

Amount in Words : Eight Lakh Ninety-Nine Thousand Six
Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270156610614 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-09-2023

Agency Name.	RAM YADAV
Application No.	70156610614
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/156610/2022
Location.	BIHAR
Address:	S/o-Shri Bijay Yadav, Village-Kageshwar, PO- Chuan, PS-Khaira, Jamui
Amount(in Rs)	899641/-

Amount in Words : Eight Lakh Ninety-Nine Thousand Six
Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270156610614 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

२४

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जमुई के तहत रैखिक परियोजना
निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या २६४० / सा०, दिनांक ०८।१२।२०२२

प्रमाणित किया जाता है कि जमुई जिले में प्रयोक्ता एजेंसी I.O.C.L. द्वारा I.O.C.L.
रैखिक परियोजना निर्माण स्थान जमुई-चकाई पथ किनारे तक कुल 48 मी० में पड़ने वाले पथ/नहर
तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.036हेठो रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु वन प्रमंडल
पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 1489, दिनांक 27.07.2022 एवं अंचल अधिकारी, सोनो के पत्रांक 569
दिनांक 05.11.2022 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदक को प्रेषित पत्र के आलोक
में आवेदक द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है।

तदआलोक में प्रस्ताव के जॉचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास
परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होनेवाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.
12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना
क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित
आबादी नहीं है।

स्थान—जमुई
तिथि— ०८।१२।२२

OR

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मोहर
जिला पदाधिकारी
जमुई

Certified that Forest land Proposed to be diverted is a plantation which was notified
as "forest" less than 75 years prior to the 13th day Of December 2005 and is located
in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-
2001 and the Census-2011

Place: JAMUI
Dated: ०८।१२।२२

०८।१२।२२
District Magistrate
and Office Seal
District Magistrate
Jamui